न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

223RTA 208 of 2023 (GCMS 445 of 2023)

जेठाराम पुत्र भेराराम के कायममुकामान-
1. देराम राम पुत्र जेठाराम
2. पन्नाराम पुत्र जेठाराम
3. आसूराम पुत्र जेठाराम
   सभी जाति जाट, निवासीगण गांव मोरनावडा
   तहसील बावडी, जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स...

ब

ना

म

1. डूंगरराम पुत्र भेराराम
   जति जाट, निवासी गांव मोरनावडा
   तहसील बावडी, जिला जोधपुर
2. राजस्थान सरकार
   जरिये भूमिधारी तहसीलदार बावडी
   जिला जोधपुर
3. मीरा पत्नी शोभाराम
4. महेश कुमार पुत्र शोभाराम
5. परसराम पुत्र शोभाराम
6. चोलाराम पुत्र शोभाराम
   रेस्पो. संख्या 3 से 6 जाति जाट,
   निवासीगण गांव मोरनावडा
   तहसील बावडी, जिला जोधपुर
7. भंवरी पुत्री शोभाराम पत्नी गोरखराम
   निवासी पण्डितजी की ढाणी
   तहसील ओसियां, जिला जोधपुर
8. रूपाराम पुत्र जसाराम जाट
9. हनुमानराम पुत्र जसाराम जाट
10. दुर्गाराम पुत्र जसाराम जाट
11. मूलाराम पुत्र जसाराम जाट
12. धन्नाराम पुत्र जसाराम जाट
13. पतासी पत्नी जसाराम जाट
14. जगदीश पुत्र उम्मेदराम जाट
15. चिमाराम पुत्र उम्मेदराम जाट
    निवासीगण गांव मोरनावडा
    तहसील बावडी, जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

20.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिकी सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बावडी (जिला जोधपुर) दिनांक 29 नवम्बर 2023 राजस्व वाद संख्या 39/2006 (जीसीएमएस 2006/00007) डूँगरराम बनाम जेठाराम के वारिसान एवं अन्य

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री रामप्रकाश चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 2
श्री गणपतराम चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 7
अन्य रेस्पो. बावजूद सूचना अनुपस्थित

नि र्ण य

दिनांक : 10 जनवरी 2024

अपीलाण्ट्स ने यह अपील न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावडी (जिला जोधपुर) द्वारा राजस्व वाद संख्या 39/2006 (जीसीएमएस 2006/00007) डूँगरराम बनाम जेठाराम के वारिसान एवं अन्य में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 29 नवम्बर 2023 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 01 दिसम्बर 2023 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादी-रेस्पो. संख्या एक ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53 एवं 188 के तहत एक राजस्व वाद ग्राम मोरनावडा स्थित आराजी खसरा संख्या 2 रकबा 69 बीघा 05 बिस्वा, खसरा संख्या 34 रकबा 55 बीघा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 35 रकबा 49 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 7/3मिन रकबा 16 बीघा 06 बिस्वा तथा खसरा संख्या 106/3 रकबा 10 बीघा के संबंध में प्रस्तुत किया। जो विचारण न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 29 नवम्बर 2023 को स्वीकार कर

10.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

लिया गया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी-अपीलाण्ट्स की ओर से आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने प्रकरण के तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए जाहिर किया कि वादी-रेस्पो. द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष सारवान तथ्यों को छिपाते हुए दावा पेश किया गया। वादग्रस्त आराजियात अपीलाण्ट्स की स्वार्जित भूमि है जिसे पुश्तैनी बताते हुए दावा पेश किया गया। वस्तुतः खसरा संख्या 2, 34 व 35 वाके ग्राम मोरनावडा ही पुश्तैनी भूमि रही है जिनमें वादी-रेस्पो. संख्या एक एवं प्रतिवादी-अपीलाण्ट्स का ½-½ हक हिस्सा रहा है और खसरा संख्या 7/3 मिन रकबा 16 बीघा 06 बिस्वा व खसरा संख्या 106/3 रकबा 10 बीघा अपीलाण्ट्स की स्वार्जित सम्पत्ति है जिस पर वक्त सेटलमेण्ट के अपीलाण्ट-पक्ष का कब्जा काश्त चला आ रहा है और जेठाराम को सन 1964 में आवण्टनसुदा भूमि है। आवण्टन के समय जेठाराम की आयु 22 साल थी और वादी-रेस्पो. संख्या एक की आयु 19 साल थी, अतः वक्त आवण्टन वादी-रेस्पो. संख्या एक को नाबालिग नहीं माना जा सकता है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 18ए के अनुसार वादी-रेस्पो. संख्या एक की जन्मतिथि 03 अप्रेल 1942 प्रकट है, अतः जाहिर है कि खसरा संख्या 7/3मिन एवं खसरा संख्या 106/3 की भूमि जेठाराम के पक्ष में आवण्टन होने से समय वादी-रेस्पो. संख्या एक डूँगरराम बालिग था। खसरा संख्या 2, 34 व 35 के मूल खातेदार जयरूपराम के देहान्त के बाद फौतेदगी म्युटेशन उनके पुत्र भेराराम के नाम भरा गया तथा सन् 1999 में भेराराम का देहान्त होने पर उक्त भूमि बाबत फौतेदगी म्युटेशन उनके दोनों पुत्रों जेठाराम एवं डूँगरराम के नाम भरा गया। मौखिक बंटवारे बाबत वादी-रेस्पो. द्वारा किया गया अभिकथन पूर्णतया मिथ्या एवं गलत है। जिसे आधार मानने में विचारण न्यायालय द्वारा गम्भीर कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की गयी है। विचारण न्यायालय द्वारा पुश्तैनी एवं स्वार्जित भूमियों के संबंध में समुचित और स्थितिपरक विवेचन किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दिये गये,

10.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जो समर्थन किये जाने योग्य नहीं है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने यह भी जाहिर किया कि विचारण न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत मामले को निर्णित करते हुए निर्धारित विधिक प्रकिया के अनुसार प्राथमिक डिकी जारी कर विभाजन प्रस्ताव तलब किये बिना सीधे ही मामले में फाइनल डिकी जारी कर दी गयी, जो विधिसम्मतः एवं न्यायोचित नहीं है।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी का समर्थन करते हुए कथन किया कि खसरा संख्या 7/3 व 106/3 पर वादी-रेस्पो. के दादा जयरूपराम का उनके जीवनकाल से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है, दादा के जीवनकाल में ही जेठाराम घर का मुखिया होने के कारण उक्त भूमि का आवण्टन अकेले जेठाराम ने नाम कर दिया गया, वादी-रेस्पो. संख्या एक तत्समय नाबालिग होने से उसका नाम आवण्टन की कार्यवाही में शामिल नहीं हुआ। अपनी बहस जारी रखते हुए अधिवक्ता-रेस्पो. ने कथन किया कि पूर्व में शोभाराम के वारिसान द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद संख्या 76/2002 श्रीमती मीरा व अन्य बनाम जेठाराम इत्यादि की कार्यवाही में न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाडशहर के समक्ष वादिनी मीरादेवी द्वारा भी अपने बयानों में खसरा संख्या 7/3 व 106/3 पर जयरूपराम के समय से कब्जा होना जाहिर किया गया है। इसी प्रकार स्वयं जेठाराम द्वारा भी अपने तात्कालिक बयानों में वादग्रस्त आराजियात बाबत पारिवारिक बंटवारा हो जाने के तथ्य को स्वीकार किया गया है। उक्त वाद में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 27 फरवरी 2006 के खिलाफ अदालत हाजा में प्रस्तुत अपील संख्या 052/2006 जेठाराम व अन्य बनाम मीरा इत्यादि दिनांक 22 जून 2009 को खारिज हो चुकी है। इसी प्रकार द्वितीय अपील संख्या 523/2009 भीरादेवी व अन्य बनाम मीरा इत्यादि माननीय राजस्व मण्डल की खण्डपीठ द्वारा दिनांक 20 अगस्त 2015 को खारिज की जा चुकी है। विचारण न्यायालय द्वारा अपने समक्ष समस्त साक्ष्य का समुचित विवेचन कर तनकीवार निष्कर्ष पारित करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित किये गये है जिनमें किसी

10.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रस्तुत अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता-रेस्पों. संख्या दो ने मामले में तथ्यों एवं परिस्थितियो के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जिससे प्रकट होता है कि-

तनकी संख्या एक (आया राजस्व ग्राम मोरनावडा के खेत खसरा संख्या 2, 34 व 35 रकबा कमशः 69.05, 55.18 व 49.12 बीघा वादी के दादा जयरूपराम की स्वार्जित भूमि एवं वादी की पुश्तैनी भूमि है? ... जिम्मे वादी) का निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा वादी-रेस्पो. के पक्ष में किया गया है, जिससे अदालत हाजा सहमत है क्योंकि इन खसरा नम्बरान की भूमि पुश्तैनी होना स्वयं प्रतिवादी-अपीलाण्ट्स की ओर से स्वीकृत तथ्य है।

तनकी संख्या दो (आया राजस्व ग्राम मोरनावडा के खसरा संख्या 7/3 व 106/3 रकबा 16.06 व 10 बीघा वादी के दादा जयरूपराम की स्वार्जित भूमि है, उक्त भूमि का नियमन वादी के बडे भाई जेठाराम के नाम घर का मुखिया होने के कारण अकेले के नाम हो गया था? वादी अपना हक हिस्सा तक प्राप्त करने का अधिकारी है? ... जिम्मे वादी) के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा अपने समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य म्यटेशन संख्या 2681/1.04.2006 (प्रदर्श 15) व नक्शा ट्रेस दिनांक 25.03.2006 (प्रदर्श 16), बीगोडी की रसीदात प्रदर्श 3 से 6 व 17 तथा न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाडशहर के समक्ष राजस्व वाद संख्या 76/2002 श्रीमती मीरा व अन्य बनाम जेठाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 27 फरवरी 2006 की सत्य-प्रतिलिपि (प्रदर्श 1) आदि के परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष वादी-रेस्पो. संख्या एक के पक्ष में पारित किया गया

10.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाडशहर के समक्ष राजस्व वाद संख्या 76/2002 श्रीमती मीरा व अन्य बनाम जेठाराम इत्यादि (जिसमें जेठाराम व उसके पुत्रगण बतौर प्रतिवादी संख्या एक से चार तथा डूंगरराम बतौर प्रतिवादी संख्या 5 पक्षकार रहे है) में खसरा संख्या 7/3 व 106/3 जेठाराम की खरीदसुदा स्वार्जित भूमि होने के संबंध में कायम तनकी संख्या 4 का निस्तारण करते हुए बयानों एवं जिरह के आधार पर उक्त आराजियात को जेठाराम की खरीदसुदा भूमि नहीं माना गया है। उक्त वाद में परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 27 फरवरी 2006 के खिलाफ अदालत हाजा में प्रस्तुत अपील संख्या 052/2006 जेठाराम व अन्य बनाम मीरा इत्यादि दिनांक 22 जून 2009 को खारिज हो चुकी है। इसी प्रकार द्वितीय अपील संख्या 523/2009 भीरादेवी व अन्य बनाम मीरा इत्यादि माननीय राजस्व मण्डल की खण्डपीठ द्वारा दिनांक 20 अगस्त 2015 को खारिज की जा चुकी है।

तनकी संख्या तीन (आया वादी ग्राम मोरनावडा के खेत खसरा संख्या 2, 34, 35, 7/3 व 106/3 में से वर्ष 1997 में आखातीज के दिन हुए पारिवारिक बंटवारा अनुसार वाद पत्र के पद संख्या 5 में बतायी गयी तालिका अनुसार बंटवारा करा कर बंट व हिस्से में आयी भूमि का खातेदार घोषित होने का अधिकारी है? ... जिम्मे वादी) का निस्तारण वादी-रेस्पो. संख्या एक के पक्ष में किया गया है, जो अदालत हाजा की विनम्र राय में उचित पाया जाता है क्योंकि पूर्व में शोभाराम के वारिसान द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद संख्या 76/2002 श्रीमती मीरा व अन्य बनाम जेठाराम इत्यादि की कार्यवाही में न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाडशहर के समक्ष वादिनी मीरादेवी द्वारा भी अपने बयानों में वादग्रस्त आराजियात बाबत पक्षकारान के मध्य पारिवारिक बंटवारा हो जाना जाहिर किया गया है। इसी प्रकार स्वयं जेठाराम द्वारा भी अपने तात्कालिक बयानों में वादग्रस्त आराजियात बाबत पारिवारिक बंटवारा हो जाने के तथ्य

10.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

को स्वीकार किया गया है। वर्तमान वाद में भी प्रस्तुत गवाहान के बयानों एवं की गयी जिरह के आधार पर यह तथ्य बखूबी साबित होता है। अतः तनकी संख्या तीन बाबत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निष्कर्ष यथावत रखा जाता है।

तनकी संख्या एक से तीन बाबत पारित निष्कर्ष के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा **तनकी संख्या चार** (आया वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण अपने बंट व हिस्से की भूमि में स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है? ... जिम्मे वादी) का निस्तारण वादी-रेस्पो. संख्या एक के पक्ष में किया गया है जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पाया जाता है।

तनकी संख्या पांच (आया खेत खसरा संख्या 7/3 व 106/3 वादी की पुश्तैनी भूमि नहीं है अपितु प्रतिवादी संख्या एक की स्वार्जित भूमि है? ... जिम्मे प्रतिवादी संख्या एक) वस्तुतः तनकी संख्या दो का ही अंतरित रूप है, अतः तनकी संख्या दो बाबत साक्ष्य सबूत के किये गये विवेचन एवं पारित निष्कर्ष के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तनकी संख्या पांच का निस्तारण प्रतिवादी संख्या एक के खिलाफ करने में कोई त्रुटि या अनियमितता किया जाना नहीं पाया जाता है।

तनकी संख्या छः (आया वाद पद संख्या एक में सजरा खानदान गलत बनाया गया, प्रतिवादी संख्या एक की पुत्रियों को पक्षकार नहीं बनाया गया, इसलिए वाद खारिज योग्य है? ... जिम्मे प्रतिवादी संख्या एक) के संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि वादी-रेस्पो. संख्या एक द्वारा संशोधित वाद-शीर्षक पेश कर दिया गया। अतः विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या छः का निस्तारण वादी-रेस्पो. संख्या एक के पक्ष में बरखिलाफ प्रतिवादी संख्या एक किया जाना विधिसम्मतः पाया जाता है।

तनकी संख्या सात (आया वादी को प्रतिवादी संख्या एक के विरुद्ध वादकरण उत्पन्न नहीं है तथा वादी आदेशों के आधार पर वाद प्रस्तुत नहीं

10.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कर सकता है? ... जिम्मे प्रतिवादी संख्या एक) का निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा विधि के सर्वमान्य सिद्धान्त - वादकरण हेतु किसी घटना का घटित होना आवश्यक है, के आधार पर वादी-रेस्पो. संख्या एक के पक्ष में किया गया है जो उचित पाया जाता है क्योंकि वादी-रेस्पो. संख्या एक द्वारा अपने वादपत्र में स्पष्ट अभिकथन किया गया है कि वादी को प्रतिवादीगण के खिलाफ वादकरण 25.03.2006 को ग्राम मोरनावडा में पैदा हुआ जब प्रतिवादी संख्या 01 जेठाराम ने पारिवारिक सहमति से हुए बंटवारे की पालना करने से इंकार कर दिया। पारिवारिक बंटवारे के संबंध में कायम तनकी संख्या तीन का निष्कर्ष वादी-रेस्पो. संख्या एक के पक्ष में हो चुका है।

तनकी संख्या आठ (आया खसरा संख्या 7 व 106 के सह-खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया, इसलिए वाद चलने योग्य नहीं है? ... जिम्मे प्रतिवादी संख्या एक) चूंकि वादी-रेस्पो. संख्या एक द्वारा अपना दावा मूल खसरा संख्या 7 व 106 से सृजित खसरा संख्या 7/3 व 106/3 के संबंध में पेश किया गया है, ऐसी स्थिति में मूल खसरा संख्या 7 व 106 के सभी सहखातेदारान को पक्षकार बनाये जाने का कोई औचित्य एवं आवश्यकता नहीं रहती है। अतः तनकी संख्या आठ बाबत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निष्कर्ष यथावत रखा जाता है।

विचारण न्यायालय के समक्ष वादी-रेस्पो. संख्या एक ने अपना दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53 एवं 188 के तहत वादग्रस्त आराजियात एक ही परिवार की पुश्तैनी सम्पत्ति होने व उसके संबंध में हुए पारिवारिक बंटवारा अनुसार अनुतोष चाहते हुए पेश किया गया। अतः **तनकी संख्या नौ** (आया वादी ने तीनों खसरों का एक ही वाद पेश किया जबकि पक्षकार भिन्न है, इसलिए वाद पेश नहीं हो सकता? ... जिम्मे प्रतिवादी संख्या एक) बाबत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निष्कर्ष विधिसम्मतः पाया जाता है।

10.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विचारण न्यायालय के समक्ष वादी-रेस्पो. संख्या एक ने अपना दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53 एवं 188 के तहत पेश किया गया, जो राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का ही होने एवं उसी अनुसार न्यायशुल्क अदा किया गया है। अतः **तनकी संख्या दस** (आया वाद न्यायालय हाजा का क्षेत्राधिकार का नहीं है तथा न्यायालय शुल्क भी अदा नहीं की है?... जिम्मे प्रतिवादी संख्या एक) का निस्तारण वादी-रेस्पो. संख्या एक के पक्ष में करने में विचारण न्यायालय द्वारा कोई विधिक भूल अथवा त्रुटि नहीं की गयी है।

यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व में शोभाराम के वारिसान द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद संख्या 76/2002 श्रीमती मीरा व अन्य बनाम जेठाराम इत्यादि की कार्यवाही में न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाडशहर के समक्ष वादिनी मीरादेवी द्वारा भी अपने बयानों में वादग्रस्त आराजियात बाबत पक्षकारान के मध्य पारिवारिक बंटवारा हो जाना जाहिर किया गया है। इसी प्रकार स्वयं जेठाराम द्वारा भी अपने तात्कालिक बयानों में वादग्रस्त आराजियात बाबत पारिवारिक बंटवारा हो जाने के तथ्य को स्वीकार किया गया है। यह दोहराया जाना भी प्रासंगिक है कि उक्त राजस्व वाद संख्या 76/2002 श्रीमती मीरा व अन्य बनाम जेठाराम इत्यादि में परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27 फरवरी 2006 के खिलाफ अदालत हाजा में प्रस्तुत अपील संख्या 052/2006 जेठाराम व अन्य बनाम मीरा इत्यादि दिनांक 22 जून 2009 को खारिज हो चुकी है। इसी प्रकार द्वितीय अपील संख्या 523/2009 भीरादेवी व अन्य बनाम मीरा इत्यादि माननीय राजस्व मण्डल की खण्डपीठ द्वारा दिनांक 20 अगस्त 2015 को खारिज की जा चुकी है। इन परिस्थितियों में विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29 नवम्बर 2023 पारित करते हुए फाइनल डिक्री व स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना विधिसम्मतः पाया जाता है।

10.1.24

राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 29 नवम्बर 2023 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। डिकी पर्चा जारी किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10.1.24

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

अपीलाण्ट

जेठाराम पुत्र भेराराम के
कायममुकामान-
1. देराम राम पुत्र जेठाराम
2. पन्नाराम पुत्र जेठाराम
3. आसूराम पुत्र जेठाराम
सभी जाति जाट, निवासीगण
गांव मोरनावडा
तहसील बावडी, जिला जोधपुर

रेस्पोडेण्ट

ब

1. डूंगरराम पुत्र भेराराम
जति जाट, निवासी गांव
मोरनावडा
तहसील बावडी, जिला जोधपुर
2. राजस्थान सरकार
जरिये भूमिधारी तहसीलदार बावडी
जिला जोधपुर
3. मीरा पत्नी शोभाराम

ना

4. महेश कुमार पुत्र शोभाराम
5. परसराम पुत्र शोभाराम
6. चोलाराम पुत्र शोभाराम
रेस्पो. संख्या 3 से 6 जाति जाट,
निवासीगण गांव मोरनावडा
तहसील बावडी, जिला जोधपुर
7. भंवरी पुत्री शोभाराम पत्नी
गोरखराम

म

निवासी पण्डितजी की ढाणी
तहसील ओसियां, जिला जोधपुर
8. रूपाराम पुत्र जसाराम जाट
9. हनुमानराम पुत्र जसाराम जाट
10. दुर्गाराम पुत्र जसाराम जाट
11. मूलाराम पुत्र जसाराम जाट
12. धन्नाराम पुत्र जसाराम जाट
13. पतासी पत्नी जसाराम जाट
14. जगदीश पुत्र उम्मेदराम जाट
15. चिमाराम पुत्र उम्मेदराम जाट
निवासीगण गांव मोरनावडा
तहसील बावडी, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बावडी (जिला जोधपुर) दिनांक 29 नवम्बर 2023 राजस्व वाद संख्या 39/2006 (जीसीएमएस 2006/00007) डूँगरराम बनाम जेठाराम के वारिसान एवं अन्य

------- 0 -------

10.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दावा बाबत

यह अपील आज बतारीख 10 जनवरी 2024 बहाजरी अधिवक्ता श्री शंकरसिंह राजपुरोहित मिनजानिब अपीलाण्ट्स, अधिवक्ता श्री रामप्रकाश चौधरी, अधिवक्ता श्री गणपतराम चौधरी एवं राजकीय अधिवक्ता श्री दयाराम चौधरी मिनजानिब रेस्पो. उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 29 नवम्बर 2023 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---------) रूपये ---------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ---------- अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 10 जनवरी 2024 को जारी किया गया।

10.1.24
(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

10.1.24
(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर